Ekक़ल 100

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(3)

रा.निगरानी क्रमांक पी.बी.आर./2017

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा/2018/0396

1\. हाकम सिंह आत्मज स्व.श्री हीरालाल लोधी, 65 वर्ष

2\. जगत सिंह आत्मज श्री हाकम सिंल लोधी, 30 वर्ष

दोनों कृषक पहरिया तहसील सिलवानी जिला-रायसेन

हाल-निवासी- म.नं.73, गुप्ता कालोनी आनंद नगर, भोपाल

3\. उदयकांत पुत्र श्री छोटेलाल, 25 वर्ष

4\. रमाकांत पुत्र श्री छोटेलाल, 22 वर्ष

दोनो निवासी-ग्राम पहरिया तहसील सिलवानी जिला-रायसेन ....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1\. प्रहलाद सिंह आत्मज श्री रामदयाल लोधी

निवासी-ग्राम पहरिया तहसील सिलवानी जिला-रायसेन

2\. हिम्मत सिंह आत्मज श्री रामदयाल लोधी

ग्राम पहरिया तहसील सिलवानी जिला-रायसेन

3\. मध्यप्रदेश शासन ......गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

न्यायालय तहसीलदार तहसील सिलवानी के प्र.क. /अ-12/15-16 के आदेश दिनांक 379/रीडर/2016 दिनांक 06.06.2016 के पालन में राजस्व निरीक्षक उप मण्डल बम्होरी तहसील सिलवानी द्वारा किये गये तथाकथित सीमांकन दिनांक 13.06.2016, 27.06.2016 एवं 28.06.2016 की कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांक 30.06.2016 की तथाकथित कार्यवाही से दुखी होकर आदेश की जानकारी होने पर ज्ञान के दिनांक 06.11.2017 से समय सीमा में यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है ।

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0396

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-2-2019	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पक्ष को सीमांकन की सूचना थी । सूचना पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं, इसका उल्लेख पंचनामें पर है । इस प्रकार सीमांकन कार्यवाही की सूचना होने के उपरांत भी आवेदक पक्ष द्वारा सीमांकन दिनांक 27-6-2016 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 27-12-2017 को लगभग पंद्रह माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । न्याय दृष्टान्त 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	